

आरतीय श्लोक विष्णु, प्रबन्धक श्रीदेवी

2116

आदेश

निलामी पदाधिकारी का न्यायालय चास

08/06/2019

8

800-1000

बैंक मुकदमा संरुप्या

85/91-92

30 Jan 95

श्री शुद्धीर चन्द्र माला

क्रमांक	तिथि	174/99	आदेश एवं हस्ताक्षर	की तिथि
1	2	3	4	5

25/04/01

प्रबन्धक, भारतीय लैट्रिक, नाटनडी, शास्त्र धनबाद, अबने विद्यान अधिवक्ता/श्री एस० एन० राय ने अपने अधिकार संख्या द्वारा देनदार लैट्रिक सुवीर चन्द्र शास्त्री याचन संख्या १६३४-३० वसुलो हेतु के विश्व बकाया शास्त्र अधिवाचन पत्र दाखिल किया गया है। इनके द्वारा एक आवेदन भी दाखिल किया गया है जिसमें कोटि को दाखिल करने वाले समय की मांग की गयी है।

अधियाचन पत्र परिपूर्ण है एवं बकाया राशि देनदार से वसूली
योग्य है। अतः देनदार के विरुद्ध धारा ७ पी० ही० आर० एक्ट के अधीन
विधिवत् सूचना जारी करें। विद्वान् अधिकार्ता को आदेश दिया जाता है
कि "कोटं फो" अविकल्प प्राप्त कर न्यायालय में दाखिल करें। सूचना
के तामिला प्रतिवेदन के साथ दिनांक.....
को प्रस्तुत करें। नारन्टर को भी सूचित करें।

12-8591

100

5-5-9

10/09/02

~~4011~~
38128

21

Neil
U15-T

त्रिलोक पद०

चत्त

31-79

क्षेत्र प्रमाण पत्र मुकदमा गुरुवा ८५/७९-९२

- आदेश फलाफ़ -

13-8-91 अनुमंडल पदाधिकारी, चास के ज्ञापांक 936 दिनांक 27.7.91 में निहित आदेश के आलोक में इस प्रमाण पत्र मुकदमा को बोकारो जिला में स्थानान्तरण करने हेतु मूल स्थान में अनुमंडल कार्यालय, चास में भेजा जाता है।

निलाम पत्र पदाधिकारी,
चास।

प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शास्त्री बोकारो के ज्ञापांक 57/गो० दिनांक 15.6.91 स्वाम उपायुक्त, धनधाद के पत्रांक 73 दिनांक 18.7.91 में निहित आदेश के आलोक में इस निलाम पत्र मुकदमा को जिला स्तर पर निष्पादन करने हेतु उप समाहितार्थ प्रभारी, पिता प्रमाण शास्त्री, बोकारो के पास अग्रेतर लारेंडा हेतु मूल में भेजा जाता है।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
निलाम पत्र पदाधिकारी,
चास।

13-291

मुकदमा 1000 दिनांक 16-8-91 स्वाम उपायुक्त, बोकारो
में आदेश ज्ञापांक 120 (दिनांक 17-8-91) द्वारा अभिलेख
निष्पादन के हेतु प्रभारी को उप समाहितार्थ प्रभारी
को आदेश उप समाहितार्थ को द्वारा दिया गया।
17-8-91 (कालो समाहितार्थ प्रभारी को दिया गया)
स्वाम उपायुक्त किसानगांव

द्वारा किसानगांव के किनारे चास
में आदेश निष्पादन के हेतु दिनांक 18-8-91
दिनांक 18-8-91

दिनांक 18-8-91
सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा दिनांक 18-8-91
दिनांक 18-8-91

देवेन्द्र बहादुर के दाख अधिकारी
काल भूमि निवास विभाग
पालक बोर्ड अधिकारी द्वारा की अधिकारी
दिनांक 5-5-92 द्वारा

देवेन्द्र बहादुर

14-9-92

देवेन्द्र बहादुर को इसकी अधिकारी
की दाख द्वारा कोई अधिकारी नहीं
किया जाए, इसकी अधिकारी द्वारा
वा निवास पर यसका विवरण
देवेन्द्र बहादुर को अधिकारी
नहीं है, दिनांक 03/12/92 की
देवेन्द्र बहादुर

देवेन्द्र बहादुर

11-9-92

CASE TRANSFERRED TO
Sri S. N. Sahay, Executive
Magistrate, CHAS
By order D. C. Bokaro
Memo No. 640 Dt. 24-6-94

Certificate Officer
BOKARO

समिलेख स्थानान्तरण से ग्राज्ज
की X में अंकित करें। देवेन्द्र बहादुर
की बकाया राशि यमा देने हेतु
वैतावनी नोटीश जारी करें।

C. O.

16/6/2000 श्री प. पदा (बास)

Case Transfer to Sri. C. O. Chasnala
V. No. 3 - O. Chas Memo No.
179 Dt. 26-5-2000 for Disposal.

Certificate Officer
Chas

FORM No. 1.

FORM No. 1.
**CERTIFICATE OF PUBLIC DEMAND FILLED IN THE OFFICE OF THE CERTIFICATE
CER OF Chis.**
tion 4 and 6 of the Bihar and Orissa Act IV of 1914)

I hereby certify that the above mentioned sum Rs. 1,634.30 C. dr. from the
 is due to the above named above named. (if the certificate is Signed on requisition sent under section 5 and) I further
 certify that the above named sum of Rs. 1,634.30 is mostly recoverable and that its recovery suit is not Barred by law.
 Dated this day of 19..... Certificate officer